हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया है। अत: अप्रार्थी सं० 7 व 8 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते तलबी अप्रार्थी सं० 1 ता 6 हेतु मिसल दिनांक 09/10/19 को पेश हो।

9/10/19 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उप० । हस्तगत प्रकरण से संबंधित अन्य पत्रावली गोपाल बनाम रामकिशन वगै० मु० सं० 20/2019 तथा हस्तगत प्रा० पत्र टी० आई० में वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वास्ते आदेशार्थ मिसल दिनांक 22/10/19 को पेश हो।

10/19 पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप० । प्रकरण में वकुलाय उभयपक्ष की पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, हस्तगत प्रकरण से संबंधित अन्य टी. आई. गोपाल बनाम रामकिशन वगै० मु० सं० 20/2019 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया जिससे हस्तगत प्रकरण उक्त वर्णित उनवानी प्रकरण से संबंधित होना पाया गया अर्थात उक्त दोनों प्रकरणों में Same fact-in-issue, same parties and same relief होने पर प्रकरण धारा 10 CPC का पाया जाने पर उक्त वर्णित पत्रावली को हस्तगत प्रकरण के साथ समेकित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहका हुक्म में
	किया जाता है। हस्तगत प्रकरण से संबंधित पत्रावली में अप्रार्थीगण के जवाब के अवलोकन से पाया कि ख०नं० 1297 प्रार्थी के पिता रामचन्द्र की स्वअर्जित क्रय की हुयी भूमि है जिसका उपहार लेख अपने पोते रामकिशन के पक्ष में किया गया है। वर्तमान में प्रार्थी के पिता रामचन्द्र की मौत हो चुकी है। शेष विवादित भूमियां संबंधित पक्षकारान को जरिये विरासतन जानी है। ऐसी स्थिति में प्रा० पत्र टी० आई० चलने योग्य नहीं पायी जाने पर खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

Scanned by CamScanner